34

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA -800001

NO. L.A.Sur/ 1038 **Dated: -** 30. 6. 2008

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development Department,
Patna.

Sir,

Audit Report **45/2008-09** on the accounts of **Nasiriganj Nagar Panchayat** for the Period **08.03.2002** to **2006-07** is enclosed for your kind information and necessary action.

Encl:-As above

Yours faithfully

30.06.08.

(J.P.Tiwary)
Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

04 JUL 2008

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या - 45/2008-09

प्रस्तावना

नगर पंचायत, नासरीगंज (रोहतास) निधि का लेखा वर्ष 8.3.02 से 06-07 की अवधि की नमूना लेखा परीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय अंकेक्षण शाखा के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 10.3.2008 से 29.3.2008 की अवधि में की गयी।

2. नगर पंचायत का गठन

संख्या-4/न0सृ0/102/96.31/न0वि0वि0, बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम, बिहार अधिनियम - 2,1995 द्वारा यथा संशोधित धारा 4 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा नासरीगंज को नगर पंचायत घोषित किया गया जिसका प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक 18 अगस्त 1998 को किया गया।

उपर्युक्त गठन हेतु निर्गत अध्यादेश के आलोक में दिनांक 3.3.2002 से नगर पंचायत अस्तित्व में कार्यरत था, लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति अथवा अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न करें, शुल्कों, शास्तियों, निबंधन एवं अनुज्ञप्ति को आरोपित करने एवं उनकी वसूली हेतु कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी।

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक- 4 (न0) ग0 - 1001/2002-1071 न0वि0वि दिनांक- 6 अप्रिल 2002 द्वारा निर्गत पत्र के निदेशानुसार नगर पंचायत का चुनाव कराकर पर्षद् का गठन दिनांक- 16.8.02 को किया गया।

3. प्रशासन

क्रम सं0	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1.	श्रीमति गीता देवी	16.08.02 से 31.3.07
	उपाध्यक्ष का नाम	
1.	श्री मो0 सेराजूल हक	16.08.02 से 31.3.07
	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	
1.	श्री मनोज कुमार, प्र0वि0पदा0	16.8.02 से 06.12.03
2.	श्री मनोज कुमार, विभागीय	7.2.03 से 26.10.03
3.	श्री राजीव रंजन प्रकाश, कार्य0 दण्डाधिकारी	27.10.03 से 15.5.05

4.	कृत्यानन्द रंजन, प्र0वि0पदा0	16.5.05 से 15.4.06
5.	संजय कुमार, (तथैव)	16.4.06 से 15.4.06
6.	संजय कुमार वर्मा, (तथैव)	10.5.07 से 31.3.07

4. लेखा परीक्षा का परिक्षेत्र

लेखा परीक्षाओं में उपलब्ध एवं नमूना जाँच की गयी अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट I पर एवं अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट I (क) पर दी गयी है।

5. लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्र0 सं0	कंडिका सं0	कंडिका का विवरण
1.	10.	बजट तैयार नहीं किया जाना
2.	11.	अनुदान एवं विनियोग पंजी का संधारण नहीं
3.	12.	अव्यवहृत अनुदान 0.25 लाख
4.	13.	कोषागार में पी0एल0 खाता संधारित नहीं
5.	14.	जमा नहीं 0.19 लाख
6.	16.	राजस्वहानि 0.20 लाख
7.	17.	जलकर बकाया राशि 1.19 लाख
8.	18.	वाणिज्यकर की राशि सरकार के खाते में जमा नहीं 1.04 लाख
9.	19.	स्वीकृत एवं कार्यरत बल
10.	20.	संविदा पर कार्यरत कर्मचारी 0.53 लाख
11.	22.	अपूर्ण योजनाओं पर व्यय 20.49 लाख
12.	23.	बिक्रीकर की कटौती नहीं 0.22 लाख
13.	25.	मार्ग दर्शिका के विरूद्ध कार्य निष्पादन
14.	26.	मार्ग दर्शिका का उल्लंघन
15.	27.	बकाया अग्रिम 21.27 लाख

6. अधिदृश्य

नगर पंचायत, नासरीगंज सरकार द्वारा प्राप्त ऋण अनुदान एवं स्वयं के आय श्रोतों पर निर्भर थी। संधारित रोकड़ वही। (2003-04 से 06-07) की प्रविष्टि के अनुसार उक्त वर्षो में आय-व्यय (मदवार) की स्थिति निम्न प्रकार है :-

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.प्रा0 शेष	शून्य	32,59,02=00	15,02,813=76	31,56,923=00
2. प्राप्तियाँ				
(i) रा.गं.व.वि. कार्यक्रम	20,83,000.00	–	15,89,000=00	6,831=00
(ii) स्व.ज.श.रोज. योजना	39,000=00	–	1,23,000=00	38,000=00
(iii) एकादश वित्त आयोग	11,89,961=00	–	–	–
(iv) द्वादश वित्त आयोग	–	–	9,21,060=00	–
(v) डी.पी.आर. हेतु	–	–	–	25,000=00
(vi) मुद्रांक शुल्क	–	–	90,770=00	–
(vii) बी.पी.एल. सर्वे हेतु	–	5,000=00	–	55,071=00
(viii) ब्याज से प्राप्ति	6,066=00	74,917=76	54,762=26	48,621=56
(ix) स्वयं के श्रोतों से आय	1,000=00	–	35,965=00	–
3. योग	33,19,027=00	79,917=76	28,14,557=76	1,73,523=56
4. कुल योग	33,19,027=00	33,38,944 =76	43,17,371=02	33,30,446=58
5. व्यय				
(i) रा.गं.व.वि. कार्यक्रम	60,000=00	18,18,131=00	60,813=00	14,87,063=00
(ii) स्व.ज.श.रोज. योजना	–	–	–	1,96,781=00
(iii) एकादश वित्त आयोग	–	–	10,68,716=76	97,721=00
(iv) द्वादश वित्त आयोग	–	–	–	5,00,248=00
(v) बी.पी.एल. सर्वे			–	45,675=00
(vi) स्थापना एवं अन्य व्यय	–	18,000=00	30,919'=00	1,16,524=00
(vii) योग	60,000=00	1836131=00	11,60,448=00	24,44,013=00
6. अन्त शेष	32,59,027=00	15,02,813=76	31,56,923=02	8,86,433=58

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि नगर पंचायत की स्वयं के श्रोतों से आय नगण्य प्रायः थी, जिसका कारण अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत उपबंधित कर, शूल्क शास्ति, पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति आदि को आरोपित नहीं किया जाना था।

अतः नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि करों एवं शुल्कों का आरोपण एवं इनके संग्रहण हेतु उचित एवं ठोस कदम उठाया जाय ताकि नगर पंचायत निधि को राजस्व की प्राप्ति हो सके एवं सथापना तथा दिन प्रतिदिन के चालू व्यय करें वहन करने में नगर पंचायत सक्षम हो सके।

7. रोकड़ – बही

लेखा पाल रोकड़-बही को विहित रूप से संधारित नहीं किया गया, उसके संधारण में पायी गयी त्रुटियाँ निम्न प्रकार है।

1. मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक योग नहीं किया गया।
2. आय-व्यय पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया।
3. आय-व्यय का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया।
4. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया।
5. बैंक पास बुक के साथ समाधान नहीं किया गया।
6. प्रा0 शेष, आय-व्यय एवं अन्तशेष का सार तैयार नहीं किया गया।
7. अन्त शेष की राशि को अग्रेनित नहीं, किया गया।

उपर्युक्त त्रुटियों को दूर कर रोकड़-बही को विहित रूप से संधारित किया जाय तथा अगले लेखा परीक्षा करे दिखलाया जाय।

(ii) रोकड़-पाल रोकड़-बही

लेखापाल रोकड़-बही को विहित प्रपत्र में से संधारण नहीं किया गया, जैस प्राप्तियों का पूर्ण विवरण, विविध रसीद संख्या, दिनांक, वसूली का मद, खाता में जमा का विवरण इत्यादि अंकित नहीं किया गया। उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इनका विहित प्रपत्र में संधारण किया जाय ताकि किसी भी अनियमितता की संभावना को दूर किया जा सके।

8. बैंक समाधान

लेखापाल रोकड़-बही एवं बैंक पासबुक के शेष का समाधान नहीं किया गया। 31.3.07 को लेखापाल रोकड़-बही का अन्त शेष एवं बैंक खाताओं को अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	रोकड़-बही का अन्तशेष		8,86,433=58
2.(i)	भारतीय स्टेट बैंक नासरीगंज खाता सं0-01190015104/11456933775	3,85,800=72	
(ii)	सेन्ट्रल बैंक आफॅ इण्डिया, नासरीगंज खाता सं0-14344	1,74,528=00	5,60328=72
	अंतर		3,26,104=86

उपर्युक्त दो आंकड़ों के मध्य रूपये 3,26,104=86 के अन्तर का समाधान कर अगले लेखा परीक्षा को दिखलाया जाय।

9. **आंतरिक लेखा परीक्षा**

बिहार नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धाराओं के अन्तर्गत आंतरिक लेखा परीक्षा का कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया, लेकिन बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली की धारा 20 एवं 64 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि नियमित रूप से लेखाओं/अभिलेखों की उच्चस्तरीय जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी लेकिन नगर पंचायत की लेखाओं की जाँच में यह पाया गया कि इस तरह की जाँच की व्यवस्था नहीं की गयी, जिसके कारण लेखओं के संधारण में त्रुटियाँ पायी गयी, जिनकी चर्चा संबंधित कंडिकाओं में की गयी है।

अतः नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि लेखा नियमावली के उपबंधों के अनुरूप नियमित रूप से आंतरिक जाँच की व्यवस्था की जाय ताकि भविष्य में त्रुटियों को दूर किया जा सके एवं किसी भी वित्तीय अथवा अन्य अनियमितता की संभावना नहीं हो।

10. **बजट प्रावधान**

बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा 71 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम दो माह पूर्व वार्ड आयुक्तों की बैठक में संभावित आय-व्यय के आंकड़ों का प्राक्कलन तैयार कर प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था दी गयी।

उक्त अधिनियम की धारा 78 के अनुसार प्रकाशन के चौदह दिनों के उपरान्त आंशिक संशोधन अथवा मूलरूप में उसे अनुमोदित कर सरकार की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाना उपबंधित किया गया।

नगर पंचायत, नसरीगंज का वर्ष 2002-03 से 07-08 की अवधि का प्रस्तावित बजट तैयार नहीं किया गया।

अतः नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष का सम्भावित आय-व्ययक बजट अनुमोदित कर सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायें। बजट की स्वीकृति के बगैर किया गया व्यय अनियमित होगा।

11. <u>अनुदान एवं ऋण</u>

नगर पंचायत, नासरीगंज को गठन से 06-07 की अवधि तक वेतन भत्ते मद में किसी तरह का अनुदान अथवा ऋण की प्राप्ति सरकार के स्तर से नहीं हुयी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास विभाग/जिला योजनान्तर्गत आवंटन प्राप्त हुआ जिसका विवरण।

निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	स्वीकृति पत्र सं./दिनांक	राशि	मद	अभ्युक्ति
1.	171/न.वि.वि./28.5.03	20,83,000	रा.ग.व. विकास	
2.	535/तथैव/10.8.05	15,81,000	कार्यक्रम	
	योग	36,64,000		
3.	72/ न.वि.वि./22.2.04	39,000	स्वर्ण जयन्ती शहरी	
4.	299/तथैव/19.5.05	1,23,000	रोजगार योजना	
5.	133530/.....15.12.05	38,000	तथैव	
	योग	**2,00,000**		
6.	मांग ड्रफ्ट 325274/16.12.03	7,31,763	एकादश वित्त आयोग	
7.	मांग ड्रफ्ट 139606/31.3.04	4,58,198	तथैव	
	योग	**11,89,961**		
8.	3191/न.वि.वि./29.9.05	5,55,344	द्वादश वित्त आयोग	
9.	3115/तथैव/11.8.06	3,65,716	तथैव	
	योग	**9,21,060**		
10.	1514/उप निबंधक, बिहार/12.7.04	90,770	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	
	योग	**90,770**		
11.	73/ न.वि.वि./23.2.04	5,000	बी.पी.एल.सर्वे	
12.	चेक सं. 133536/जिला पदा.	55,071	तथैव	

	रोहतास/6.12.06 योग	60,071		
13.	631/ न.वि.वि./25.10.06	25,000	डी.पी.आर. हेतु	
	कुल योग	**61,50,862**		

उपर्युक्त हेतु अनुदान पंजी की संधारण नहीं किया गया तथा साथ ही विनियोग पंजी नहीं तैयार की गयी।

उपर्युक्त आंवटन हेतु अनुदान पंजी एवं विनियोग पंजी संधारित कर अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

अव्यवहृत अनुदान

नगर विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 631 दिनांक 25.10.06 द्वारा रूपये 25,,00/- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) तैयार करने हेतु आवंटित किया गया था, लेकिन उक्त डी0पी0आर0 तैयार करने में उदासीनाता बरतने के कारण उक्त प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया, परिणामस्वरूप उस मद हेतु आवंटित राशि अव्यवहृत था।

उक्त राशि का व्यवहार विहित प्रयोजन हेतु किया जाय अन्यथा आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में इन्हें स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस किया जाय।

13. कोषागार में पी0एल0 खाता संधारित नहीं

बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा 66 के उपबंधों के अनुसार नगर पंचायत निधि हेतु प्राप्त सभी राशियों को कोषागार में पी0एल0 खाता में जमा किये जाने की व्यवस्था दी गयी, लेकिन नगर पंचायत, नासरीगंज द्वारा कोषागार में खाता नहीं खोला गया तथा सभी आय व्यय बैंक खातों के माध्यम से किया गया, जो अधिनियम के उपबंधों का प्रत्यक्ष उल्लंघन एवं अनियमित था।

अतः सुझाव दिया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र कोषागार में खता खोलकर बैंक खातों की शेष राशि को उसमें जमा किया जाय तथा भविष्य में होने वाले आय व्यय को कोषागार के माध्यम से किया जाय।

14. नहीं जमा

विविध रसीद वहियों की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि रसीद संख्या 401 से 470 दिनांक 28.4.07 से 4.5.07 की अवधि में रूपये 19,000/-

२6

की वसूली नाम निर्देशन शुल्क के रूप में किया गया जो नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की वसूली प्रण्खड नाजिर द्वारा किया गया।

किन परिस्थितियों में नगर पंचायत निधि में जमा योग्य राशि की वसूली प्रखण्ड नाजिर द्वारा किया गया, उसे स्पष्ट नहीं किया गया, उसे अगले लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाय तथा वसूल की गयी राशि 19,000/- जिम्मेवार व्यक्ति (यों) से वसूल कर नगर पंचायत निधि के उचित शीर्ष में जमा किया जाय।

15. टिन टिकट (जमा नहीं/कम जमा)

टिन टिकर से संबंधित भंडार एवं निर्गत पंजी का संधारण नहीं किया गया। अभिश्रव की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2002-03 में विभिन्न वाहनों से संबंधित टिन टिकट की आपूर्ति लिया गया, जिसके विरूद्ध विभागीय तौर पर इन्हें निर्गत (विक्री) किया गया, बिक्री द्वारा वसूल की गयी राशि की जमा के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि वसूल की गयी राशि के विरूद्ध कम राशि जमा किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	टिकट की प्रकृति	संख्या	राशि	जमा राशि	कम जमा
1.	साईकिल	987	4,441=50		
2.	रिक्सा	15	285=00		
3.	ठेला	8	192=00		
			4,918=50	**3,860=00**	**1,058=50**

उपर्युक्त कम जमा राशि 1,058=50 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय तथा अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

15. टिन टिकट, (राजस्व हानि)

नगर पंचायत के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह पाया गया कि वर्ष 2002-03 में टिन टिकट की विभागीय वसूली द्वारा 4,918.50 पै0 का राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन उसके उपरान्त वर्ष 03-04 से 06-07 की अवधि में उक्त वसूली की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। अवहेलना के कारण उक्त वर्षो में उस मद में कम से कम 4,918=50X 4= कुल 19,674/- की राजस्व हानि नगर पंचायत निधि को उठानी पड़ी।

उक्त राजस्व हानि की राशि 19,674/- संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाय एवं अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

17. जल कर की बकाया राशि

उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, विक्रमगंज द्वारा रूपये 1,18,842=00 की बकाया सूची वर्ष 2006-07 तक नगर पंचायत को उपलब्ध करायी गयी, जिसका विवरण प्रतिवेदन के परिषिष्ट **II** पर दिया गया है।

उपर्युक्त बकाया जलकर की राशि संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

18. सरकारी खाते में जमा योग्य राशि जमा नहीं

योजनाओं से संबंधित संचिकाओं की नमूना जाँच में यह पाया गया कि पूर्ण योजनाओं पर किये गये भुगतान पर संबंधित अभिकर्ताओं से वाणिज्यकर (वैट) एवं खनन शेष की कटौती की गयी राशि नगर पंचायत निधि में रोक कर रखी गयी तथा उचित शीर्ष में जमा नहीं किया गया, कटौती की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र. सं.	योजना का नाम	पूर्ण योजनाओं की संख्या	कुल भुगतान की राशि	खनन शेष कटौती	वाणिज्यकर (वैट) कटौती	कुल राशि
1.	एकादश वित्तआयोग	9	9,61814	15,555	-	15,555
2.	द्वादश वित्त आयोग	4	4,07,110	9,777	17,174	26,951
3.	रा.जं.व.वि. कार्य.	12	20,03,716	50,976	5,219	56,195
4.	स्व.ज.रा.रो. योजना	1	94,100	867	3952	4819
			योग	**77,175**	**26,345**	**1,03,520**

उपर्युक्त विवरण के अनुसार खनन शेष एवं वाणिज्यकर (वैट) की कटौती की गयी राशि क्रमशः 77,175=00 (+) 26,345=00 कुल 1,03520=00 सरकार के संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में यथाशीघ्र जमा किया जाय एवं अगले लेखा परीक्षा को दिखलाया जाय।

२५

19. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

नगर पंचायत के गठन (8.3.2002) के उपरान्त कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी, नगर विकास विभाग के ज्ञापांक 411 दिनांक 5.2.07 के द्वारा नवसृजित (नवगठित) नगर पंचायत हेतु कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी जिसके अनुसार विभिन्न पदों एवं वेतनमान का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	प्रधान सहायक सह लेखापाल	1320-2040	1
2.	टैक्स दरोगा	975-1540	1
3.	कार्यालय आदेश पाल	775-1050	1
4.	सफाई जमादार	800-1150	1
5.	मेहतर/मेहतरानी	775-1025	5
		कुल	9

उपर्युक्त स्वीकृति के उपरान्त भी अभी तक (3/2008) इन पदों पर नियुक्ति हेतु कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण कार्यालय का नियमित कार्य सूचारु रुप से चला पाना संभव नहीं।

ध्यातव्य है कि दैनिक परिश्रमिक पर पाँच कर्मचारियों को रखकर कार्यालय कार्य का निष्पादन किया गया, जिसका विवरण संबंधित कंडिका में दिया गया है।

20 संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति

नगर पंचायत, नासरीगंज में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, संविदा के आधार पर पाँच कर्मचारियों को 1000/- प्रतिमाह की दर से कार्य हेतु नियुक्त किया गया, लेकिन उनके नियोजन से संबंधित संचिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी, साथ ही नियोजन की अवधि एवं इन्हें किये गये भुगतान की अवधि भी अंकित नहीं की गयी। वर्ष 2004-05 से 06-07 की अवधि में कुल 53,000/- का भुगतान किया गया। कर्मचारियों का विवरण एवं भुगतानित राशि का विवरण निम्न प्रकार है,

	सर्वश्री	
1.	भोला कुमार, तहसीलदार	तहसीलदार
2.	मोहम्मद एकराम	सफाई जमादार
3.	युगल किशोर	सहायक
4.	नन्द गोपाल सिंह	चपरासी
5.	सन्तोष राम	सफाईकर्मी

भुगतान का विवरण			
क्र.सं.	अभिश्रव सं./दिनांक	राशि	विवरण
1.	64/12.3.05	3,000/-	श्री भोला कुमार, मो० एकराम एवं युगल किशोर @ 1000/-
2.	1 से 3/3.9.05	9,000/-	श्री भोला कुमार, मो० एकराम एवं युगल किशोर @ 3000/-
3.	4/5.5.06	8,000/-	श्री भोला कुमार, मो० एकराम एवं युगल किशोर @ 1000/- सन्तोष राम @ 5000/-
4.	5/28.5.06	8,000/-	श्री भोला कुमार, मो० एकराम एवं युगल किशोर @ 1000/- सन्तोष राम @ 2000/-
5.	6/27.2.07	25,000/-	श्री भोला कुमार, मो० एकराम एवं युगल किशोर @ 1000/- सन्तोष राम, नन्द गोपाल सिंह @ 5000/-
	योग	53,000/-	

उपर्युक्त कर्मचारियों की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति की सरकार द्वारा सक्षम स्वीकृत, भुगतान की अवधि इत्यादि अगले लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाय। इसके स्पष्टीकरण तक भुगतान की कुल राशि 53,000/- आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के निदेशानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द आपनयी जाय तथा शनियुक्ति की जाय ताकि नगर पंचायत का कार्य सुचारू रूप से निष्पादित हो सके।

21 अधिक भुगतान

बी0पी0एल0 सूची के कार्य में व्यय हेतु श्री युगल किशोर को रूपये 45,000/- की राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	चेक संख्या/दिनांक	राशि
1.	0054388/16.12.06	5,000
2.	0054390/22.12.06	20,000
3.	0054391/2.2.07	20,000
	कुल	45,000

उपर्युक्त अग्रिम के विरूद्ध श्री युगल किशोर द्वारा मात्र रूपये 44,621=00 का समायोजन विपत्र समर्पित किया गया, परिणाम स्वरूप रूपये

379/- का अधिक भुगतान श्री किशोर को किया गया, जिसे वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय तथा अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

22 योजनाओं की स्थिति

लेखा परीक्षा के नमूना जाँच हेतु उपलब्ध विभिन्न पंजी के अवलोकन से ली गयी योजनायें, पूर्ण-अपूर्ण योजनाओं की स्थिति एवं उन पर की गयी व्यय की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	ली गयी योजनाओं की संख्या	प्राक्कलित राशि	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं पर व्यय	अपूर्ण योजनाओं पर व्यय
(i)	राष्ट्रय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम					
1.	12 (04-05)	17,82,500	11	1.	15,06,016	2,42,500
2.	9 (06-07)	13,66,800	1	8	2,55,200	9,70,624
3.	आवास निर्माण 6 (04-05)	2,02,800	शून्य	6	–	1,95,000
4.	तथैव 6 (04-05)	2,02,800	शून्य	6	–	1,95,000
कुल	33	35,54,900	12	21	17,61,216	16,03,124
(ii)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना					
1.	2(06-07)	2,19,100	1	1	94,100	1,07,000
(iii)	एकादश वित्त आयोग					
1.	11(04-05)	12,03,000	9	2	9,61,814	2,19,100
(iv)	द्वादश वित्त आयोग					
1.	6(06-07)	5,55,200	4	2	4,07,110	1,20,000
कुल योग	52	55,32,200	26	26	32,24,240	20,49,224

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि ली गयी योजनाओं में से 50% योजनायें ही पूर्ण की गयी तथा 50% योजनाओं को रूपये 20,49,224/- के व्यय के उपरान्त अपूर्ण स्थिति में रखा गया, जबकि योजनायें एक से तीन माह में पूर्ण किया जाना था। इस तरह अपूर्ण योजनाओं के कारण जनता को मिलने वाली सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया तथा सरकारी राशि को अवरुद्ध कर सरकार के लक्ष्यों का पूरा नहीं होने दिया गया।

अतः उक्त अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाय अथवा अभिकर्त्ता से दी गयी राशि की वसूली किया गया।

23 एकादश वित्त आयोग

एकादश वित्त आयोग की अनुशंसा से वर्ष 2004-05 में कुल 11 योजनाओं का चयन किया गया, जिनमें 9 योजनाओं को पूर्ण किया गया लेकिन दो योजनायें रूपये 2,19,100=00 के व्यय के उपरान्त अपूर्ण रखा गया, जिसके कारण आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया तथा सरकारी राशि को अवरूद्ध कर सरकार के प्रयोजना को निष्फल किया गया।

ध्यातव्य है कि उक्त दोनों अपूर्ण योजनायें वर्ष 2004-05 की थीं।

अतः सुझाव दिया जाता है कि अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाय, असफलता की स्थिति में संबंधित अभिकर्त्ता से रूपये 2,19,100=00 की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

(ii) विक्री कर की कटौती नहीं

योजना संचिकाओं की नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं में प्रयुक्त सामग्रियों पर बिक्री कर की कटौती नहीं किया गया।

क्र.सं.	योजना सं.	अभिकर्त्ता का नाम	सामग्री	मूल्य	बिक्री कर
1.	4/04-05	श्री युगल किशोर	(i) ईट	91,688	7,335/-
			(ii) बालू	9,504	760/-
			(iii) सिमेंट	48,613	5,347/-
2.	6/04-05	श्री भोला कुमार	(i) ईट	69,533	5,563/-
			(ii) बालू	8,620	690/-
			(iii) सिमेंट	17,615	1,938/-
				योग	21,633/-

उपर्युक्त रूपये 21,633=00 संबंधित अभिकर्त्ता से वसूल कर वाणिज्य कर विभाग के उचित शीर्ष में जमा किया जाय।

24. द्वादश वित्त आयोग

द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2006-07 की अवधि में कुल छः योजनाओं का चयन किया गया, जिसमें से 4 योजनाओं को पूर्ण किया गया तथा शेष दो योजनायें जिसकी प्राक्कलित राशि 1,48,000/- रूपये थी, (1,32,200/- (+) 15,800/-) के विरूद्ध संबंधित अभिकर्त्ता को 1,20,000/- का अग्रिम (1,07,500/-(+) 12,500/-) दिया गया।

21

उपर्युक्त अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाय अथवा भुगतान की गयी राशि संबंधित अभिकर्त्ता से वसूल कर निधि में जमा किया जाय।

(ii) <u>ठोस अवशिष्ट प्रबंधन</u>

द्वादश वित्त आयोग की निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार आवंटित राशि का 50% ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर व्यय किया जाना उपबंधित था। उक्त मद में नगर पंचायत को नगर विकास विभाग द्वारा रूपये 9,21,060/- का आवंटन प्राप्त हुआ जिसका 50% 4,60,530/- का व्यय ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर किया जाना था जो नहीं किया गया।

उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रस्तावित राशि निर्धारित मद पर व्यय किया जाय अथवा आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस किया जाय।

25. <u>गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम</u>

गंदी बस्ती में जीवन यापन करने वाले परिवारों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम की शुरूआत की गयी, जिसके कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में निम्नलिखित उपबंध किये गये।

1. नेबर हुड कमिटी/नेबर हुड ग्रुप, सामुदायिक विकास समिति, एवं गरीबी निवारण कोषांग का गठन किया जाना।
2. गंदी वस्ती को चिन्हित किया जाना एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की सूची तैयार किया जाना।
3. उपर्युक्त, कमिटियॉ की अनुशंसा से प्राथमिकता के आधार पर सड़क, नाली, रोशनी, पेयजल, समुदायिक शौचालय एवं स्नानागार, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केयर केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था करना।
4. गंदी वस्ती में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को रोजगार मुहैया कराने के प्रयोजन से ऐसी योजनाओं का चयन किया जाना जिसमें अधिक श्रम मूलक व्यवस्था हो।
5. उक्त वस्ती में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले गृह विहीन परिवारों को उनके स्वयं की भूमि पर प्राप्त आवंटन से 10% राशि का व्यय आवास निर्माण कर आवंटित किया जाना, जिसका

प्राक्कलन रूपये 33,800/- था तथा 2,500/- लाभार्थी को स्वयं भौतिक सुविधओं पर वहन किया जाना उपबंधित किया गया।

योजनाओं के कार्यान्वयन की नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि उपर्युक्त वर्णित समितियों का ना ही गठन किया गया, ना ही उनकी अनुशंसा से योजनाओं का चयन किया गया। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारें की सूची तैयार नहीं की गयी। योजनाओं का चयन सिर्फ सड़क एवं नाली निर्माण हेतु किया गया। श्रम की अपेक्षा सामग्री पर अधिक व्यय किया गया। आवास निर्माण हेतु चयनित परिवारों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी, साथ ही लाभार्थी का स्वयं की भूमि थी अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया।

वर्ष 04-05 एवं 06-07 की अवधि में आवास निर्माण हेतु 6-6 व्यक्तियों का चयन किया गया, जिन्हें 32,500/- प्रत्येक की दर से भुगतान किया गया लेकिन आवास निर्माण की भौतिक स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी एवं 3,90,000/- की राशि के व्यय के उपरान्त आवास निर्माण का कार्य, अभी तक (308) अपूर्ण था। योजनाओं का भौतिक एवं आर्थिक प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्राधिकारी को भेजा गया अथवा नहीं इसे स्पष्ट नहीं किया गया।

वर्ष 04-05 से 06-07 की अवधि में कुल 27 योजनाओं का चयन किया गया जिनमें से मात्र 12 योजनाओं को पूर्ण किया गया तथा शेष 15 योजनाओं पर 14,02,124/- रूपये के व्यय के उपरान्त लंबित थी। परिणाम-स्वरूप आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं से उन्हें वंचित किया गया तथा सरकार की राशि को अवरूद्ध कर सरकार के लक्ष्यों की प्राप्ति का निष्फल कर दिया गया।

(ii) <u>पूर्ण योजनाओं में से कुछ की नमूना जाँच की स्थिति निम्न प्रकार है।</u>

(क) योजना सं0 1/03-04 3/04-05	भिखारी मियां के घर से लेकर मीर नासीर साहब के घर होते हुए जमीरूद्दीन मियाँ तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण
प्राक्कलित राशि	रू0 3,84,000/-
भुगतानित राशि	रू03,89,789/-
मापीपुस्ति की राशि	रू03,83,367/-
अभिकर्त्ता	श्री भोला कुमार,तहसीलदार

निष्पादित कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एवं उनपर कटौती योग्य वाणिज्यकर एवं खनन शेष की राशि का विवरण।

			वाणिज्य कर	खनन शेष
1.	ईंट 4170	7,545/-	604/-	83/-
2.	चिप्स 5681cft	1,08,607/-	9,775/-	1,875/-
3.	बालू 2841cft	22,485/-	1,799/-	355/-
4.	सिमेंट1136 बैग	1,53,360/-	16,870/-	-
	योग	2,91,997/-	29,048/-	2313/-
5.	मजदूर			
	184 X 90	16,560/-		
	657 X 58.65	38,533/-		
	योग	3,47,090/-		
	10% संवेदक लाभ	13,940/-		
	सिमेंट का मुल्य घटाकर 2% सिमेंट के मूल्य पर	3,375/-		
		3,29,275/-		

<u>ढुलाई भाड़ा</u>

1.	चिप्स 5681cft @ 614=37%	39,902=35
2.	बालू 2,841cft @ 185%	5,255=85
3.	ईंट 4175 @ 257-29%	1,074=15
4.	सिमेंट 1136 बैग @ 5/-	5,680=00
		3,81,187=35

<u>घटाया जाय</u>

वाणिज्यकर (+) खननशेष 29,048/-(+)2313	31,361=00
शुद्ध भुगतान योग्य राशि	3,49,826=00
भुगतान किया गया	3,89,798=00
अधिक भुगतान	39,972=00

उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्य हेतु प्रयुक्त 1136 सिमेंट की खाली बोरा का मुल्य 2/- प्रति की दर से 2272/- कुल 42,244/- अधिक भुगतान की राशि संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

ध्यातव्य है कि मापी को कार्यपालक अभियन्ता द्वारा 11.6.05 को अंतिम रूप दिया गया, उसके उपरान्त 12.7.05 एवं 8.8.05 को 384 बैग सिमेंट की आपूर्ति लिया गया तथा 16.7.05 एवं 2.9.05 तक मजदूरों को कार्यरत दर्शाया गया, जिससे कार्य का निष्पादन संदिग्ध था, उसकी उच्चस्तरीय जाँच की अनुशंसा की जाती है।

(ख)

योजना संख्या 1/03-04 9/04-05	वहीद कुरैशी के घर से हाजी नजीर के घर होते हुए अजीम खाँ के घर तक नाला निर्माण एवं सोलिंग कार्य।
प्राक्कलित राशि	रू01,98,000/-
भुगतानित राशि	रू01,98,000/-
मापी की राशि	रू01,80,181/-
समर्पित अभिश्रव	रू01,97,245/-
अभिकर्त्ता	श्री मो0 एकराम, सफाई जमादार

कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्री, मजदूर एवं इनपर कटौती योग्य वाणिज्य कर एवं खनन शेष की राशि।

क्र.सं.	सामग्री	मात्रा	मूल्य	वाणिज्यकर	खननशेष
1.	ईट	54715	1,01,621=00	8130=00	1368=00
2.	सिमेंट	116 बैग	15,660=00	1723=00	-
3.	स्टोन मेटल	263.25cft	3,192=00	287=00	87=00
4.	मिट्टी	6061.77 cft	1040=00	-	255=00
5.	बालू	1585cft	6164=00	493=00	198=00
6.	मजदूर	129 X 100 418 X 58.65	129006=00 24,575=70	10633=00	1908=00
			1,74,453=32		
	10% संवेदन लाभ घटाया गया		14,434=31		
	सिमेंट का मुल्य घटाकर		313=00		
	2% सिमेंट के मूल्य पर		1,59706=00		
घटाया गया वाणिज्यकर एवं खननशेष 10633/-(+) 1908/-			12,541=00		
भुगतान योग्य राशि			1,47,165=00		
भुगतान किया गया राशि			1,98,000=00		
अधिक भुगतान			50,835=00		

इसके अतिरिक्त कार्य में प्रयुक्त 116 सिमेंट की खाली बोरा का मूल्य 2/- की दर से 232/- कुल 51,067/- की राशि संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

26 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के सदस्यों को रोजगार अथवा

18

स्वरोजगार मुहैया कराना, इस प्रयोजन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में निम्न लिखित उपबंध किये गये।

(i) नेबर हुड कमिटी/नेबर हुड ग्रुप, सामुदायिक विकास समिति गरीबी निवारण कोषांग का गठन किया जाना एवं प्रथमिकता के आधार पर रोजगार/स्वरोजगार को तलास कर योजनाओं का चयन।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की सूची तैयार किया जाना।

(iii) रोजगार/स्वरोजगार हेतु चयनित योजनाओं में महिलाओं को 30% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विकलांगों को आनुपातिक आरक्षण के अनुसार रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु योजनाओं को तैयार किया जाना अथवा ऋण की व्यवस्था किया जाना।

(iv) श्रम–मूलक योजनाओं का चयन किया जाना तथा सामग्री श्रम का अनुपात 60 : 40 रखा जाना।

उक्त योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि उपर्युक्त वार्णित समितियों का गठन नहीं किया गया, ना ही उनकी अनुशंसा से योजनाओं का चयन किया गया, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की सूची तैयार नहीं किया गया, रोजगार/स्वरोजगार हेतु उपबंधित आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी, कार्यन्वित योजनाओं में सामग्री मूल्य एवं श्रम मूल्य का अनुपात 84 : 16 था। निर्गत मार्गदर्शिका के विरूद्ध कार्य का निष्पादन किन परिस्थितियों में किया गया, उसे स्पष्ट नहीं किया गया।

पूर्ण योजनाओं में से कुछ योजनाओं की नमूना जाँच में पायी गयी स्थिति निम्न प्रकार है।

(क)

योजना संख्या :– 1/06–07	वार्ड नं0 –9 में सरयू चौधरी के घर होते हुए रामलाल चौधरी के धनपत पाल के घर तक ईंट सोलिंग एवं नाली निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रूपये94,100/–
भुगतान राशि	रूपये94,100/–
मापी का मूल्य	रूपये95,663/– Ltd. to Rs. 94,100/–
समर्पित अभिश्रव	रूपये94,245
अभिकर्त्ता	श्री मो0 एकराम, सफाई जमादार
मापी की तिथि	1.7.06, सहा0 अभि0 2.7.06, कार्यपालक अभि0 19.2.07

निष्पादित कार्य हेतु आवश्यक सामग्री, मजदूर एवं उन पर कटौती योग्य वाणिज्यकर एवं खननशेष का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	सामग्री	मात्रा	मुल्य	वाणिज्यकर	खननशेष
1.	ईंट	25349 24400	50,020	2001	488
2.	सिमेंट	61बैग	8,723	1090	–
3.	बालू (सोन)	251cft	1130	141	105
4.	स्था० बालू	1147 cft	2501	–	482
5.	मिट्टी	4510 cft	7667	–	1894
6.	मजदूर	48X100/- 227X68/-	4800 15,436		
	Total		90277	3232	2,969
घटाया गया संवेदक लाभ।					
10% सिमेंट का मुल्य घटाकर			7413		
2% समेंट के मुल्य पर			174		
			82,690		
घटाया गया					
वाणिज्यकर (+) खननशेष					
3232 (+) 2969=6201					
की गई कटौती					
3952 (+) 867=4819			1382 81,308		
किया गया भुगतान			94,100		
अधिक भुगतान			12,792/-(+)183(बैग सिमेंट की खाली बोरी का मूल्य 3/- प्रति की दर से)		

कुल 12,975/- संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

ध्यातव्य है कि चालक द्वारा बालू पहुँचाकर राशि प्राप्ति रसीद निर्गत किया गया, लेकिन उसका भाड़ा अलग से देकर अभिकर्त्ता को अनियमित रूप से आर्थिक लाभ पहुँचाया गया। कार्य हेतु कुल 25349 ईंट आवश्यक था जिसके विरूद्ध 24400 अदद ईंट की आपूर्ति लिया गया एवं कार्य निष्पादित दर्शा दिया गया तो संदेहास्पष्द हैं उसकी जाँच कर सही वस्तु स्थिति को सुनिश्चित किया जाय।

27 बकाया अग्रिम

नगर पंचायत द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया, ना ही बकाया अग्रिम की सूची तैयार किया गया, जिसकी अनुपलब्धता के कारण, पूर्व का बकाया अग्रिम प्रतिवर्ष दिया गया अग्रिम, समायोजित राशि एवं 31.3.07

को समायोजन हेतु लंबित बकाया अग्रिम की जाँच सम्भव नहीं हो सकी। रोकड़ वही के अवलोकन से यह पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों के पास 31.3.07 को रुपये 21,26,773=00 समायोजन हेतु लंबित था, जिसका विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट **III** पर दिया गया है।

अग्रिम पंजी का विहित संधारण कर उपर्युक्त अग्रिम की प्रविष्टि तथा अन्य अग्रिम यदि कोई हों, की प्रविष्टि की जाय तथा अन्य अग्रिम यदि कोई हों, की प्रविष्टि की जाय तथा समायोजन कर अथवा वसूल कर अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

28 कार्यपालक के साथ वार्त्तालाप

लेखा परीक्षा के दौरान उठायी गयी आपत्तियों के मुख्य बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष से वार्त्तालाप किया गया तथा आवश्यक सुझाव दिये गये।

29 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा के परिणाम निम्न प्रकार है :-

1. लेखा परीक्षा के दौरान जमा राशि :- रू0 शून्य
2. वसूली के सुझाव के अन्तर्गत राशि :- रू0 505972=00
3. आपत्ति के अन्तर्गत रखी गयी राशि :- रू0 53000=00
4. अधिभार द्वारा वसूली के अन्तर्गत राशि :- रू0 शून्य

(विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट **IV** पर दिया गया है।)

30 सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत, नासरीगंज के लेखाओं/अभिलेखों के संधारण में काफी सुधार की आवश्यकयता है, जैसे रोकड़–बही का विहित संधारणा नहीं किया गया, अग्रिम एवं समायोजन पंजी संधारित नहीं की गयी, अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया, तथा अनुदान का विनियोग तैयार नहीं किया गया, योजना पंजी में कई योजनाओं की स्थिति अंकित नहीं किया गया, कई योजनाओं में भुगतान की गयी राशि का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया, उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया, कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, अधिनियम की धाराओं में उपबंधित करों, शुल्कों, पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया नहीं

अपनायी गयी जिसके कारण स्वयं के श्रोतों से आय नगण्य थी, जिसे बढ़ाने के उपाय किये जाने चाहिये ताकि नगर पंचायत को राजस्व की प्राप्ति हो सके एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हों।

ह0/-

स्थान :- पटना।

तनवीर हसन

दिनांक :- 3.04.08

(अनुभाग अधिकारी)

/3

सं0 एल0ए0/अधिभार 1035 **दिनांक :-** 30.6.08

कार्यपालक पदाधिकारी, नासरीगंज (रोहतास) को अग्रसारित अनुरोध है कि प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरान्त पर्षद् की बैठक के पटल पर प्रतिवेदन के बिन्दुओं पर विचार कर उनका निराकरण प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन माह के अन्दर इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था की जाय।

ह0/-

ले0प0अ0/अधिभार

स्थानीय अंकेक्षण शाखा,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0 एल0ए0/अधिभार 1036 **दिनांक :-** 30.6.08

प्रतिलिपि,

1. जिलाधिकारी, रोहतास
2. सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना,
3. अनुभाग अधिकारी/अधिभार

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

ले0प0अ0/अधिभार

स्थानीय अंकेक्षण शाखा,

बिहार, पटना।